

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी मुकाम:- नसीराबाद

बनानी देवी बनाम अजब व अम

फिस्म मुकदमा :- 53, 88/68 राज0 काश्त0 अधि0 1955

प्रकरण संख्या: 22 सन् :- 2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
25.1.23	<p>अधिवक्ता वादी न उक्त वाद पत्र पेश किया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया। वाद पत्र के साथ सलंगन धारा 80 (2) सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली बरस्ते इन्तजारी तलबी दिनांक 23/23 को पेश हो।</p> <p>21/1/23 थार एसोसिएशन नका उद अ का व स्थान प्रस्ताव के कारण पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 21/1/23 को पेश हो।</p> <p>आदेशानुसार</p> <p>21/1/23</p> <p>22/2023</p> <p>28.6.23</p> <p>पत्रावली के मय को उचित है केवल वकील वादी के आज पत्रावली कर रिपोर्ट किया है पत्रावली के प्रत्येक शर्तनामा है। जमा है तथा वाद पर आज को कार्यवाही नहीं है। अतः वादी के अतिरिक्त वाद नोटिस के कारि किम जाना है। पत्रावली के मय उचित है वा उचित है वा है व वाकिम वकाल है।</p>	<p>1464-66 2/2/23</p> <p>14/2/23</p> <p>आदेशानुसार उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)</p> <p>कं टन</p>

उपजिला मजिस्ट्रेट
नसीराबाद

